

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौबीस'

[20/3/2017]

परिशिष्ट-क

(विधान सभा ताराकित प्रश्न क्रमांक 5874 द्वारा मा.श्री दिलीप सिंह शेखावत)

अ. क्र.	वर्ष	कारखाने का नाम	दुर्घटना का प्रकार एवं दिनांक	मृत / धायल श्रमिक का नाम	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	प्रबंधक द्वारा प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2016	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. केमिकल डिवीजन	प्राणांतक दुर्घटना दिनांक 17.11.2016 विरलाम्ब, नागदा	श्रमिक श्री हरिओम पिता श्री रामलाल की कारखाने के यू. पी.एस.रूम में अग्नि दुर्घटना के दोरान प्राणांतक दुर्घटना हुई।	कार्यालय द्वारा अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 38 78-21 एवं म.प्र. कारखाना नियमावाली 1962 के नियम 73.72, 73-ई में अभियोजन की कार्यवाही की गई है।	मृतक श्रमिक ई-एसआई में पंजीकृत है (ESIC No-10920374)। मृतक के आक्षितों को प्रबंधन द्वारा कुल राशि रूपये 16,78,245/- लाख (एप्रीमिट एवं बीमा योजना के तहत) एवं एक आक्षित को थाई नॉकरी की गई।	प्रकरण मा.सी.जे.एम. न्यायालय उज्जेन प्रादेश [5874] दिनांक 7.2.2017 के दर्जे किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।

Quesn 5874

सचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
मध्य प्रदेश, इन्दौर


 अधिकारी
 अनिल कुमार
 मध्यप्रदेश (इन्डिया)
 मध्य प्रदेश विभाग बोर्ड
 कंसल्टेंट